राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stplsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/प्र.श.स.अभि.(707)/21/1279 दिनांक : 20.07.2021

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के बजट घोषणा अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 का सुभारम्भ 2, अक्टूबर, 2021 से किया जाना है, जिसमें राज्य की समस्त नगरीय निकायों/नगर प्रन्यास न्यासों/विकास प्राधिकरणों में लगभग 10 लाख पट्टे दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अतः अभियान की सफल क्रियान्विति हेतु निम्न प्रारूप में सूचना आवश्यक रूप से दिनांक 26.07.2021 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अभियान के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रकरणों का चिन्ह्किरण कर प्रक्रिया तय की जा सके :–

अनुमोदित कृषि भूमि की कॉलोनियां				गैर अनुमोदित कॉलोनियां	
कुल कॉलोनियां	कुल भुखण्डों की संख्या	जारी पट्टे	पट्टे जारी से शेष	गैर अनुमोदित कॉलोनियां	कुल भूखण्डों की संख्या

नोटः–अनुमोदित/तैयार कॉलोनियों के ले–आउट प्लानों की प्रति अवश्य रूप से सलग्न करें।

साथ ही श्री राजपाल चौधरी, उप नगर नियोजक, निदेशालय एवं अरबन प्लानर, निदेशालय को निर्देशित किया जाता है, कि निकाय स्तर पर लम्बित प्रकरणों का मौके पर जाकर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की मौजुदगी में तकनीकी परीक्षण कर आ रही समस्याओं हेतु मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश देकर अविलम्ब प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त संबंधी समस्त लम्बित प्रकरणों से संबंधित पत्रावलीयां एकत्रित कर तैयार रखें, जिससे अनावश्यक समय व्यतीत ना हो। उक्त संबंध में किसी प्रकार की कोताई नही बरतते हुये सर्वाच्च प्राथमिकता देवें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/प्र.श.स.अभि.(707)/21/1280-1303 दिनांक : 20.07.2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. श्री जी.एस.संधू, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
8. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

10. क्षेत्रिय उपनिदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है, कि अपने अधीन समस्त नगरीय निकायों को उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
12. सिस्टम एनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलौड़ करावें एवं समस्त नगरीय निकायों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करें।

20/07/21

अति. मुख्य नगर नियोजक